

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

—आदेश:—

कमांक.....३३.../स्था0सैट/2024

जबलपुर, दिनांक.....१६/०१/२०२४

श्री रज्जन काछी, वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर के उपनाम परिवर्तन एवं मध्य नाम जोड़ने (रज्जन काछी के स्थान पर रज्जन प्रसाद कुशवाहा) की सूचना मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-3 (1) दिनांक 06.10.2023 में प्रकाशित होने के फलस्वरूप उनके समस्त शासकीय अभिलेखों में पुराना नाम "श्री रज्जन काछी" के स्थान पर नया नाम "श्री रज्जन प्रसाद कुशवाहा" करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


Sd/-
(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल

पृ0कमांक.....२४...../स्था0सैट/2024

जबलपुर, दिनांक.....१६/०१/२०२४

प्रतिलिपि:—

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम (ट.एम.अनुभाग) मध्यप्रदेश ग्वलियर/भोपाल।
2. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय जबलपुर।
5. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) (प्रोटोकाल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्थापना) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर
8. सहायक स्था./लेखा अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर
9. श्री रज्जन काछी, वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


16.1.24
(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)